न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 305/2021 दायर दिनाँक 17.11.2021

वादीया		प्रतिवादीगण
1. नसीबन पत्नि मुंशी पुत्री अल्लारख उम्र 75 वर्ष जाति देशवाली निवासी बालिया, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादीया।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 19.09.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीया ग्राम बालिया की निवासी है तथा वादीया के पिता अल्लाहरख ग्राम खिंचियाबासनी के निवासी है। वादीया की शादी आज से 55 वर्ष पूर्व हो चूकी है। वादी के पिता अल्लारख ने अपने जीवनकाल में ही पुत्र ना होने के कारण सम्पूर्ण भूमि मौखिक रूप से वादीया को दे दी। जिस पर कब्जा काश्त वादीया का ही है।

यह है कि अल्लारख वृद्धावस्था में वादीया के पास ही रहा। जिसकी सम्पूर्ण सेवा चाकरी वादीया ने की। दिनांक 10.07.1990 को वृद्धावस्था के कारण अल्लारख पिता लाखा का देहान्त हो गया।

यह है कि वादीया की पैतृक भूमि खसरा सं0 87 रकबा 26 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 192 रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 206 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं0 215 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 214 रकबा 10 बिस्वा वाकै सरहद खिंचियाबासनी में अवस्थित है।

यह है कि वादीया के पिता अल्लाहरख के खातेदारी में उपर वर्णित खसरा नम्बर की भूमि में 1/2 भाग हिस्सा था। अल्लाहरख अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में ही भारत में ही रहा था। कभी भी पाकिस्तान नही गया। इसके बावजुद भी राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती के कारण सम्वत् 2023 से 2026 में अल्लारख के खातेदारी सुदा खेत को महकमा कस्टोडियन दर्ज कर दिया। जिससे दिनांक 07.07.2011 को राजस्थान सरकार के नाम दर्ज कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

यह है कि वादीया की प्रार्थना निम्न है:–

यह है कि वादीया की पैतृक भूमि खसरा सं0 87 रकबा 26 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 192 रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 192 रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 206 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं0 215 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 214 रकबा 10 बिस्वा वाकै सरहद खिंचियाबासनी में से 1/2 भाग हिस्सा की खातेदारी वादीया के घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खसरा सं0 87 रकबा 26 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 192 रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 192 रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 206 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं0 215 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 214 रकबा 10 बिस्वा वाकै सरहद खिंचियाबासनी में से 1/2 भाग हिस्सा की खातेदारी वादीया के नाम घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **19.09.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **305/2021** दायर दिनाँक **17.11.2021**

वादीया		**प्रतिवादी**
1. नसीबन पत्नि मुंशी पुत्री अल्लारख उम्र 75 वर्ष जाति देशवाली निवासी बालिया, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **19.09.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र खिलेरी वकील वादीया की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खसरा सं0 87 रकबा 26 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 192 रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 192 रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 206 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा सं0 215 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं0 214 रकबा 10 बिस्वा वाकै सरहद खिंचियाबासनी में से 1/2 भाग हिस्सा की खातेदारी वादीया के नाम घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॅार्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–...................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **19.09.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर))

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:37:54 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर))

Scanned with OKEN Scanner